<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>1/09/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत संतोष कुमार शर्मा एवं अन्य के मामले में 29.08.2025 को **1.27 करोड़ रुपये (लगभग)** मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश के झांसी, टीकमगढ़ जिलों में स्थित 27 अचल संपत्तियां (कृषि भूमि, आवासीय भूखंड) और संतोष कुमार शर्मा, उनकी पत्नी श्रीमती संध्या शर्मा एवं उनके पुत्र अंकित शर्मा के बैंक खातों में जमा शेष राशि शामिल है।

ईडी ने लोकायुक्त पुलिस, विशेष पुलिस स्थापना, भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। प्राथमिकी के अनुसार, सेवानिवृत्त सहायक व्याख्याता संतोष कुमार शर्मा ने 01.07.1985 से 31.12.2022 तक विभिन्न पदों पर लोक सेवक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी ज्ञात और वैध आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।

ईडी की जाँच से पता चला कि संतोष कुमार शर्मा की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, जैसे कृषि भूमि, आवासीय भूखंड और अन्य अचल संपत्तियाँ, या तो उनके अपने नाम पर या उनकी पत्नी और दो बेटों के नाम पर पंजीकृत थीं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।